आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी.डी.एस. पुनरीक्षण वाद संख्या –251/2022
लक्ष्मण राम
बनाम
राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	*आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर*	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
01.04.2023	यह वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No. 22087/2018 में दिनांक–21.09.2022 को पारित आदेश के आलोक में समाहर्त्ता, सीतामढ़ी द्वारा आपूर्ति वाद सं0–91/2018 में दिनांक 25.09.2018 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 21.09.2022 को पारित आदेश का अंश है :– **"Should such a petition be filed by the petitioner, the Revisional Authority/ the Commissioner of the Division shall take up such petition and shall pass a reasoned order within a period of 60 days after giving reasoanable opportunity to present his cause."** वाद का सारांश यह है कि ग्राम रूपौली, पंचायत मेथौरा के उपभोक्ताओं श्री मनोहर कुमार एवं अन्य द्वारा श्री लक्ष्मण राम, जन वितरण प्रणाली विक्रेता के विरूद्ध अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी को परिवाद समर्पित किया गया। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, डुमरा द्वारा दिनांक 09.09.2017 को पुनरीक्षणकर्ता के दुकान की जाँच की गई और पत्रांक 121 दिनांक 11.09.2017 द्वारा जाँच प्रतिवेदन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सीतामढ़ी एवं अनुमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर को समर्पित किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर के ज्ञापांक 483	

WEB COPY NOT OFFICIAL

दिनांक 21.09.2017 द्वारा पुनरीक्षणकर्ता से निम्न अनियमितताओं के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गयी :–

(i) जाँच के क्रम में आपके दुकान का सूचना पट्ट संधारित नहीं पाया गया।

(ii) जाँच के क्रम में भंडार–सह–मूल्य प्रदर्शन बोर्ड अद्यतन नहीं पाया गया।

(iii) आपके द्वारा अपने उपभोक्ताओं को वितरण के पश्चात् कैश–मेमो नहीं दिया जाता है।

(iv) आपके दुकान से संबंधित शिकायत–सह–निरीक्षण पंजी अनुपलब्ध पाया गया।

(v) आपके द्वारा अपने उपभोक्ताओं को 2.250 लीटर के स्थान पर मात्र 2.00 लीटर किरासन तेल दिया जाता है, जो उपभोक्ताओं के बयान से स्पष्ट होता है।

(vi) आपके द्वारा अपने उपभोक्ताओं को खाद्यान्न की आपूर्ति एक–एक माह के अंतराल पर किया गया है। विगत माह में खाद्यान्न का आपके द्वारा जनवरी 17 से जुलाई 17 तक लगातार खाद्यान्न का उठाव किया गया है। विगत माह मे आपके द्वारा सात माह के खाद्यान्न का उठाव किया गया है, परन्तु इसके विरूद्ध अपने उपभोक्ताओं को चार से पांच माह के खाद्यान्न की ही आपूर्ति की गयी है, जो उपभोक्ताओं के राशन कार्ड के अवलोकन एवं उनके बयान से स्पष्ट है।

(vii) स्टॉक पंजी के अनुसार खाद्यान्न की मात्रा :

अन्तयोदय– गेहूँ–17.92 क्वी0 चावल–28.88 क्वी0

पूर्विक्ता – गेहूँ–29.86 क्वी0 चावल–44.79 क्वी0

कुल गेहूँ–47.78 क्वी0, चावल–71.67 क्वी0 आपके भंडार पंजी में दर्शाया गया, जबकि आपके भंडार के भौतिक सत्यापन करने पर 49 बोरा गेहूँ (24.50 क्वी0) तथा 76 बोरा चावल (38.00 क्वी0) पाया गया। अर्थात आपके भंडार में 23.28 क्वी0 गेहूँ तथा 33.67 क्वी0 चावल कम मात्रा में पाया गया ।

WEB COPY NOT OFFICIAL

विक्रेता द्वारा दिनांक 25.09.2017 को अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। विक्रेता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समर्थन में कोई साक्ष्य समर्पित नहीं करने एवं स्पष्टीकरण को असंतोषप्रद पाते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया गया।

अनुमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर के आदेश के विरूद्ध विक्रेता द्वारा जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के समक्ष अपील दायर की गई। समाहर्त्ता, सीतामढ़ी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर के आदेश को यथावत रखते हुए विक्रेता के अपील आवेदन को खारिज कर दिया गया। समाहर्त्ता के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में पुनरीक्षणवाद दायर है।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि :–

(i) अनुमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर द्वारा पुनरीक्षणकर्ता से कारण–पृच्छा का जवाब तीन दिन के अंदर मांगा गया, जो नैसर्गिक न्याय के प्रतिकूल है।

(ii) अनुज्ञप्ति रद्द करने के पूर्व जाँच प्रतिवेदन की प्रति पुनरीक्षणकर्ता को उपलब्ध नहीं करायी गई।

(iii) अनुमंडल पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता द्वारा सभी अभिलेखों के सत्यापन किये बिना आदेश निर्गत दिया गया। साथ ही पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि 2.250 लीटर किरासन तेल की जगह 2 लीटर ही आपूर्ति किया जाना एवं कैश–मेमो नहीं दिया जाना, पंजी का अद्यतन संधारण नहीं करना, निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में खाद्यान्न का आपूर्ति करना आदि गंभीर आरोप है। अतएव श्री राम (विक्रेता) के पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जाना चाहिए।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विक्रेता के दुकान की जाँच में पायी गयी अनियमितता के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी

WEB COPY NOT OFFICIAL

के ज्ञापांक 483 दिनांक 21.09.2017 द्वारा विक्रेता से स्पष्टीकरण की मांग की गई। प्राप्त स्पष्टीकरण पर विचारोपरांत अनुमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर द्वारा आदेश पारित किया गया। विक्रेता द्वारा दायर अपीलवाद पर समाहर्त्ता द्वारा विक्रेता को सुनवाई का समूचित अवसर प्रदाने करते हुए मुखर आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार निम्न न्यायालय के आदेश में कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह कहना कि कारण–पृच्छा के जवाब हेतु मात्र तीन दिन का समय देना नैसर्गिक न्याय के प्रतिकूल है, के संबंध में कहना है कि पुनरीक्षणकर्ता से स्पष्टीकरण के साथ भंडार पंजी, वितरण पंजी, एवं कैश–मेमो की द्वितीय प्रति की मांग की गई, जो पहले से संधारित रहता है। विक्रेता से ऐसा कोई साक्ष्य की मांग नहीं की गई जिसे उपलब्ध कराने में तीन दिन से ज्यादा का समय लगे। इस प्रकार उक्त स्पष्टीकरण का जवाब देने हेतु तीन दिन का समय पर्याप्त है।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना कि जाँच प्रतिवेदन की प्रति विक्रेता को नहीं दी गयी, के संबंध में कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी के ज्ञापांक 483 दिनांक 21.09.2017 द्वारा विक्रेता से स्पष्टीकरण की मांग की गई, जिसमें जाँच प्रतिवेदन में अंकित अनियमितताओं के संबंध में विस्तार से उल्लेख है।

विक्रेता द्वारा अपने स्पष्टीकरण दिनांक 25.09.2017 में स्वीकार किया गया है कि सामग्री वितरण करने समय भीड़–भाड़ के कारण कैश–मेमो नहीं दिया जाता है एवं जानकारी के अभाव में शिकायत–सह–निरीक्षण पंजी संधारित नहीं किया गया।

उल्लेखनीय है कि अनुज्ञा–पत्र के **''कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व''** की कंडिका 14 में अंकित है कि ***''अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निरीक्षण पुस्तिका एवं शिकायत–सह–सुझाव पुस्तिका संधारित की जायेगी।''*** साथ ही **बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका 14(iv)** में अंकित है कि ***''अनुज्ञप्तिधारी सभी आवश्यक वस्तुओं की बिक्री के पश्चात् प्रत्येक उपभोक्ता को कैश–मेमो (अनुसूची–05 के अनुसार) देगा, जिसमें उपभोक्ता का नाम, पता लिखकर उसका हस्ताक्षर/अंगूठे का***

WEB COPY NOT OFFICIAL

निशान लेगा।'' इस प्रकार विक्रेता द्वारा उपर्युक्त प्रावधान का उल्लंघन किया गया है।

विक्रेता पर सात माह के खाद्यान्न का उठाव करने एवं उपभोक्ताओं को चार से पाँच माह के खाद्यान्न का ही वितरण करने तथा 2.250 किरासन तेल के बदले 2 लीटर किरासन तेल का ही वितरण करने का गंभीर आरोप है। **बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका 14(i)** में अंकित है कि ***''अनुज्ञप्तिधारी राशन कार्ड धारक को लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उसकी हकदारी के अनुसार खाद्यान्नों एवं अन्य वस्तुओं का वितरण विहित खुदरा मूल्य पर करेगा एवं उसके द्वारा भंडार में पड़ी आवश्यक वस्तुओं को उसकी हकदारी के अनुसार देने से इन्कार नहीं करेगा।''*** इस प्रकार निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुओं का वितरण करना ''बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016'' के कंडिका 14(i) का उल्लंघन है।

इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश नियमानुकूल है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए इस पुनरीक्षणवाद को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त**

WEB COPY NOT OFFICIAL

WEB COPY NOT OFFICIAL